नॉन रिपोर्टएबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 5919-5920/2019

(विशेष अवकाश याचिका (सिविल) सं. 15954-55/2019से उत्पन्न)

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बनाम ...अपीलकर्ता

बनाम

रोशन लाल सैनी और अन्य ...प्रतिवादी

के साथ

विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 6342/2017

निर्णय

संजीव खन्ना, न्यायाधीश

(अ)सिविल अपील संख्या 5919-5920/2019

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. दिनांक 18 मई, 2015 को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर में डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1265/2014, दिनांक 23 मई, 2014 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और निर्णय को बरकरार रखा जाता है, जिसमें प्रथम प्रतिवादी-रोशन लाल

सैनी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, राजस्थान सेवा नियमों के नियम 86 के तहत अपीलकर्ता-राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा 3 जनवरी, 2003 को पारित आदेश को रद्द करते हुए तीन महीने के लिए अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर पहले प्रतिवादी को सेवा से हटाने का आदेश श्रम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। उक्त बर्खास्तगी को रद्द करते हुए और मामले को श्रम न्यायालय को भेजते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे निर्देश दियाः

> "आवास बोर्ड को श्रम न्यायालय के समक्ष यथासंभव शीघ्रता से साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन पक्षकारों के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए इस अदालत द्वारा निर्धारित तिथि से तीन महीने तक ही होगी।"

इससे सहमत होते हुए, खण्ड पीठ ने आक्षेपित निर्णय में उपरोक्त निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं किया है।

3. आक्षेपित निर्णय 25 अक्टूबर, 2013 को निधियों के गबन, अनियमित भुगतान, गुम वाउचर आदि के लिए शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच कार्यवाही में पारित बर्खास्तगी के दूसरे आदेश को रद्द करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को भी बरकरार रखता है, 10 अक्टूबर, 2002 को पहले प्रतिवादी पर तामील किए गए आरोप पत्र के माध्यम से।

4. विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि पहले प्रतिवादी ने 48 मामले दायर किए हैं, जो मुकदमेबाजी के लंबे और उतार-चढ़ाव भरे इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने विभिन्न मामलों में कुछ परस्पर विरोधी आदेशों में योगदान दिया है। अधिक विस्तार से बचने के लिए

और चूंकि हमारे समक्ष विचार के लिए एक काफी सीमित मुद्दा उठता है, इसलिए हमें वर्तमान आदेश के प्रयोजन के लिए विवादों और मुकदमों के विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि हम संक्षेप में प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

5. पहले याचिकाकर्ता को, उस अवधि के दौरान जब पहला याचिकाकर्ता आवास बोर्ड के साथ कनिष्ठ लेखाकार के रूप में काम कर रहा था, 1,49,00,000/- रुपये (एक करोड़ उनचास लाख रुपये) की सीमा तक निधियों के गबन, अनियमित भुगतान, गुम वाउचर आदि के आरोपों में प्रथम दृष्टया जांच के आधार पर दिनांक 17 अगस्त, 2002 के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था। नतीजतन, 1995-1998,1998-2001 और 2000-2002 के बीच की अवधि के लिए वर्ष 2002 में तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गईं, जिसमें पहला प्रतिवादी गिरफ्तार किया गया था और हिरासत में रहा था। यह कहा गया है कि आपराधिक मुकदमे अभी भी लंबित हैं।

6. जैसा कि ऊपर देखा गया है, पहले प्रतिवादी को अनुशासनात्मक जांच शुरू करते हुए 10 अक्टूबर, 2002 को पहला आरोप पत्र दिया गया था। इसके बाद, 23 नवंबर, 2002 को, 31 अगस्त, 2002 से जानबूझकर अनुपस्थित रहने के कारण दूसरा आरोप पत्र तामील कराया गया।

7. पहले प्रतिवादी ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया था जिसमें जानबूझकर अनुपस्थिति के आरोप को छोड़कर अपीलकर्ता को आरोपों के संबंध में आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने दिनांक 18 जनवरी, 2010 के आदेश द्वारा इस आदेश को बरकरार रखा

था। इन आदेशों की प्रति अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस आशय के दावे हमारे समक्ष अभिलेख पर अभिवचनों में किए गए हैं।

8. दिनांक 3 जनवरी, 2003 के एकपक्षीय आदेश द्वारा, प्रथम प्रतिवादी को जानबूझकर अनुपस्थिति के आधार पर राजस्थान सेवा नियमावली के नियम 86 (3) के तहत सेवा से हटा दिया गया था। प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विभागीय अपीलों को खारिज कर दिया गया।

9. पहले प्रतिवादी ने तब जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका पेश की थी, जिसे श्रम न्यायालय के समक्ष वैकल्पिक उपचार के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था। इस आदेश को समीक्षा याचिका, इंट्रा-कोर्ट अपील और विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के कारण अंतिम रूप दिया गया।

10. इसके बाद पहले प्रतिवादी ने बर्खास्तगी आदेश के स्थगन के लिए एक अंतरिम आवेदन के साथ 2011 के एलसीआर नंबर 38 द्वारा श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे श्रम न्यायालय ने 29 मई, 2013 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया था।

11. पहले प्रतिवादी ने 29 मई, 2013 को श्रम न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 की रिट याचिका संख्या 9480 पेश की थी। वर्तमान विशेष अनुमति याचिका इस रिट याचिका से उत्पन्न होती है।

12. इस बीच, किसी अथाह कारण के लिए पहले प्रतिवादी ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 8611/2007दायर की, जिसमें 9 सितंबर, 2009 के आदेश के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने निर्देश जारी किया था कि जांच के शेष भाग को चार

महीने के भीतर पूरा किया जाना है। इस आदेश को एक खण्ड पीठ ने 9 मई, 2011 के आदेश द्वारा बरकरार रखा था। ये आदेश इस तथ्य के बावजूद पारित किए गए थे कि पहले प्रतिवादी को दिनांक 3 जनवरी, 2003 के आदेश के तहत इरादतन अनुपस्थिति के आधार पर पहले ही सेवा से हटा दिया गया था।

13. उपर्युक्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, पहले आरोप पत्र पर अनुशासनात्मक कार्यवाही फिर से शुरू की गई और 28 मई, 2012 को जांच रिपोर्ट में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सभी आरोप साबित हुए। नतीजतन, 25 अक्टूबर, 2013 को पहले प्रतिवादी को बर्खास्त करने का आदेश पारित किया गया।

14. पहले प्रतिवादी ने 25 अक्टूबर, 2013 को बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए वैधानिक अपील नहीं की थी। न ही उन्होंने इसे श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय बनाया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर सिविल रिट याचिका संख्या 19668/2013द्वारा रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया।

15. इस बीच, श्रम न्यायालय ने दिनांक 5 नवंबर, 2015 के अपने आदेश द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2003 के बर्खास्तगी के पहले आदेश को इरादतन अनुपस्थिति के आधार पर बरकरार रखा। यह आदेश रिट याचिका संख्या 9480/2013में 23 मई, 2014 के आदेश और डी. बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1265/2014में 18 मई, 2015 के आक्षेपित आदेश और फैसले में खण्ड पीठ के विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसरण में पारित किया गया था।

16. प्रथम प्रतिवादी ने श्रम न्यायालय के दिनांक 5 नवंबर, 2015 के आदेश के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 5205/2016को प्राथमिकता दी है,

जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित बताया गया है।

17. 25 अक्टूबर, 2013 को बर्खास्तगी के दूसरे आदेश को भी प्रथम प्रतिवादी द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 9480/2013में एक संशोधन आवेदन को प्राथमिकता देते हुए चुनौती का विषय बनाया गया था, जिसमें 29 मई, 2013 को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। श्रम न्यायालय ने 3 जनवरी, 2003 के पहले बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाने के लिए प्रथम प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया। दिनांक 28 नवंबर, 2013 के आदेश द्वारा, प्रथम प्रतिवादी को दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 की बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए इस रिट याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी।

18. रिट याचिका संख्या 9480/2013को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांक 23 मई, 2014 द्वारा प्रथम जांच दिनांकित 3 जनवरी, 2003 पर विस्तृत निष्कर्ष दर्ज करके स्वीकार की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप, जांच कार्यवाही की निष्पक्षता या औचित्य साबित करने के लिए इरादतन अनुपस्थिति के आरोप के संबंध में आदेश दिया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मई, 2013 को चुनौती के तहत पारित आदेश केवल एक अंतरिम आदेश था। साथ ही, विद्वत एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता को श्रम न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र किया गया था। गुण-दोष के आधार पर इरादतन अनुपस्थिति का मुद्दा और प्रश्न श्रम न्यायालय के निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया था।

19. इसके बाद, विद्वत एकल न्यायाधीश ने 25 अक्टूबर, 2013, दिनांकित बर्खास्तगी आदेश की चुनौती की जांच की और कहा कि यह जांच रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था जो पूरी तरह से अवैध, मनमाना और असंवैधानिक था क्योंकि पहले प्रतिवादी को आरोप पत्र का बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। उपरोक्त पैराग्राफ 12 में उल्लिखित उच्च न्यायालय के चार महीने के भीतर जांच कार्यवाही पूरी करने के निर्देश के बावजूद, यह पाया गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अवमानना याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, जो पहले प्रतिवादी द्वारा दी गई थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता मूल वाउचर प्रस्तुत करने में विफल रहा था, जिसकी संख्या 544 थी, जिसे विभिन्न अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था।

20. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा 18 मई, 2015 को पारित आक्षेपित आदेश और निर्णय में विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारणों का उल्लेख किया गया है कि पहले प्रतिवादी के लिए श्रम न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र की कमी थी, वह 'कर्मकार'नहीं था।

21. 18 मई, 2015 के आक्षेपित निर्णय में यह भी अभिलिखित है कि श्रम न्यायालय ने मामले के अभिगृहीत किए जाने पर प्रथम प्रतिवादी को अभियोजन पक्ष के गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्रदान किया था किंतु उसके द्वारा बार-बार किए गए स्थगन की मांग के कारण श्रम न्यायालय मामले को आगे बढ़ाने में असमर्थ था। उपरोक्त पैराग्राफ 18 में स्पष्ट किए गए कारणों से, हम देखेंगे और यह अभिनिर्धारित करेंगे कि खण्ड पीठ जानबूझकर अनुपस्थिति के आरोप और अभिकथन पर अंतिम और निर्णायक निष्कर्ष नहीं दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 3 जनवरी, 2003 को बर्खास्तगी का आदेश दिया गया था

। आक्षेपित आदेश में अभिलिखित निष्कर्षों को अस्थायी और प्रथमदृष्टया माना जाएगा और अंतिम या निर्णायक नहीं माना जाएगा, अन्यथा विद्वत खण्ड पीठ के लिए इस निर्देश की पुष्टि करने का कोई कारण और आधार नहीं था कि अपीलकर्ता श्रम न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र था।

22.खण्ड पीठ ने 25 अक्टूबर, 2013 को बर्खास्तगी के दूसरे आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पारित नहीं किया जा सकता था और सबसे अच्छा निष्कर्ष उन आरोपों पर दर्ज किया जा सकता था जो पहली कार्यवाही में विभागीय जांच का विषय नहीं थे, क्योंकि पहले प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। यदि कुछ अतिरिक्त आरोप भी होते जिन पर विभागीय जांच की गई थी, तो बर्खास्तगी का दूसरा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। खण्ड पीठ का यह आदेश, हालांकि, 25 अक्टूबर, 2013 को बर्खास्तगी के दूसरे आदेश के कानूनी प्रभाव और पक्षकारों के संबंधित अधिकारों के बारे में स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है। इसके अलावा, 25 अक्टूबर, 2013 को बर्खास्तगी के दूसरे आदेश पर विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा योग्यता के आधार पर दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

23. उक्त स्थिति के बावजूद, दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 के बर्खास्तगी के दूसरे आदेश के संदर्भ में, आक्षेपित आदेश के पैरा 8 और 9 में, डिवीजन बेंच ने कुछ अन्य रिट याचिकाओं पर टिप्पणी की है, जिसमें 2008 की रिट याचिका संख्या 1511 भी शामिल है। याचिकाकर्ता जिसके द्वारा धन के गबन आदि के आरोपों के खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही को अलग कर दिया गया था और यह देखा गया था कि 3 जनवरी, 2003 के पहले बर्खास्तगी आदेश को श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, यह पहले प्रतिवादी के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष पृथक्करण आदेश को चुनौती देने के लिए खुली थी जो मामले पर

अभिगृहीत किया गया था। खातों के विशेष ऑडिट को चुनौती देने वाले पहले प्रतिवादी द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। डी. बी. 2014 की विशेष अपील संख्या 1636, जिसमें पहले प्रतिवादी ने निलंबन भत्ते के लिए प्रार्थना की थी, यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि मुद्दे पर एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं थी और यह पहले प्रतिवादी के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष मुद्दा उठाने के लिए खुला था। अंत में, 2007 की विशेष आपराधिक विविध याचिका संख्या 525,2007 की 539 और 2009 की 1127 का संदर्भ दिया गया जिसमें आपराधिक कार्यवाही और गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किए गए थे।2015 की विविध याचिका संख्या 8 का भी उल्लेख किया गया, जिसमे उसके खिलाफ दायर चौथे आपराधिक मामले के संबंध में पहले प्रतिवादी की गिरफ्तारी पर फिर से रोक लगा दी गयी थी। यह निर्देश दिया गया था कि चारों याचिकाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा और आदेश के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

24. आक्षेपित निर्णय में यह भी देखा गया कि पहले तीन आपराधिक विविध मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा जाँच के मूल रिकॉर्ड तलब किए गए थे और 2007 से स्थगन आदेश लागू थे। उच्च न्यायालय द्वारा सम्मिलित और रखे गए जांच के ये मूल रिकॉर्ड गायब हो गए थे।रजिस्ट्रार जनरल को रजिस्ट्रार (सतर्कता) के माध्यम से लापता अभिलेखों के संबंध में पूछताछ करने और रजिस्ट्रार जनरल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसे प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

25. उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि खण्ड पीठ और एकल न्यायाधीश नोटिस करने में विफल रहे थे और उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि सिविल रिट याचिका संख्या 9480/2013मुख्य रूप से श्रम न्यायालय द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2003 को बर्खास्तगी के पहले आदेश पर रोक

लगाने से इनकार करने वाले एक अंतरिम आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। उन्होंने इस मुद्दे पर विचार किया है और 3 जनवरी, 2003, दिनांकित आदेश पर टिप्पणी की है मानो रिट न्यायालय और अपील न्यायालय के समक्ष चुनौती के तहत आदेश श्रम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश था। जैसा कि पहले देखा गया है, श्रम न्यायालय ने 5 नवंबर, 2015 को अपने अंतिम आदेश द्वारा 3 जनवरी, 2003 को बर्खास्तगी के पहले आदेश को बरकरार रखा है। 5 नवंबर, 2015 के आदेश को पहले प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका संख्या 5205/2016में चुनौती दी गई है, जो अभी भी एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, विद्वान खण्ड पीठ और एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों और टिप्पणियों को जानबूझकर अनुपस्थिति के आरोप के गुण या दोष पर निष्कर्ष और टिप्पणियों के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह श्रम न्यायालय के समक्ष साक्ष्य का नेतृत्व करने और आरोप साबित करने के लिए अपीलकर्ता पर छोड़ दिया गया था।

26. पुनः दिनांक 3 जनवरी, 2003 का बर्खास्तगी का आदेश पारित होने के बाद, उच्च न्यायालय को निधियों के गबन, अनियमित भुगतान, गुम वाउचर आदि से संबंधित एक अन्य आरोप-पत्र के अनुसरण में विभागीय कार्यवाहियों को जारी रखने और समाप्त करने का निर्देश नहीं देना चाहिए था। कथित पहलू पर, चुनौती के तहत आदेशों में विद्वान खण्ड पीठ और एकल न्यायाधीश ने सही रूप से कहा है कि बर्खास्तगी के दो आदेश नहीं हो सकते हैं, फिर भी जांच रिपोर्ट और 25 अक्टूबर, 2013 को बर्खास्तगी के दूसरे आदेश पर गलत टिप्पणी की गई है । बर्खास्तगी के इस दूसरे आदेश को सीमित आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए था और इसका कारण यह होना चाहिए था कि बर्खास्त

करने के दो आदेश नहीं हो सकते हैं, निधियों के गबन, अनियमित भुगतान और गुम वाउचर आदि से संबंधित आरोप-पत्र में कदम उठाने और कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए अपीलकर्ता को छोड़ दिया जाए, यदि दिनांक 3 जनवरी, 2003 को बर्खास्तगी के पहले आदेश को अपास्त कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में गबन, अनियमित भुगतान एवं खोये हुए वाउचर आदि से संबंधित आरोप-पत्र की विभागीय कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखा जाना चाहिए। इस संबंध में ***महाराष्ट्र राज्य बनाम विजय कुमार अग्रवाल और एक अन्य*** मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया हैः

> "11....दिनांक 6-7-1988 के आरोप-पत्र से संबंधित जांच के निष्कर्ष पर जिस कर्मचारी को पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, उस पर कोई अन्य जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, इस स्तर पर कथित आरोप-पत्र की जांच जारी रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने जा रहा है । साथ ही, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रतिवादी 1 ने बर्खास्तगी आदेश को चुनौती दी है और मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है । यदि ट्रिब्यूनल और/या उच्च न्यायालय/इस न्यायालय द्वारा उक्त बर्खास्तगी को रद्द कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी 1 को सेवा में बहाल कर दिया जाता है, तो पक्षकारों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी का संबंध भी बहाल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता को दिनांक 6-7-1988 के आरोप-पत्र से संबंधित जांच के साथ आगे बढ़ने की अनुमति होगी।

27. तदनुसार, वर्तमान अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है जिसके द्वारा हम इस बात से सहमत हैं कि 25 अक्टूबर, 2013 प्रास्थगन का दूसरा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, और तदनुसार हम 28 मई, 2012 की जांच रिपोर्ट के संबंध में खण्ड पीठ और एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज सभी टिप्पणियों और निष्कर्षों को इस निर्देश के साथ दरकिनार कर देंगे कि उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसरण में आगे की कार्यवाही को स्थगित रखा जाएगा और 3 जनवरी, 2003 के पहले बर्खास्तगी आदेश को ख़ारिज और रद्द किया जा सकता है। पुनः प्रारंभ होने के मामले में, प्रथम प्रतिवादी अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष जांच रिपोर्ट पर आपत्तियां उठाने के लिए स्वतंत्र होगा, जो उक्त आपत्तियों पर विचार करेगा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी गलतियों या खामियों को सुधारने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए समान रूप से स्वतंत्र होंगे। आक्षेपित आदेशों में निष्कर्ष और टिप्पणियां आरोपों की जांच करने और निर्णय लेने से अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रतिबंधित नहीं करेंगी और न ही पहले प्रतिवादी को अपने बचाव के अधिकार का उपयोग करने से प्रतिबंधित करेंगी । एसएलपी (सी) संख्या 15954-955/2019और अन्य से उत्पन्न सिविल अपील हमने जांच रिपोर्ट के गुण-दोष या अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

28. पहले पहलू पर हम 5 नवंबर, 2015 को श्रम न्यायालय के अंतिम आदेश को ध्यान में रखते हुए केवल एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक स्पष्टीकरण देंगे। खंडपीठ का आक्षेपित निर्णय, एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए और श्रम न्यायालय के दिनांक 29 मई, 2013 के आदेश को निरस्त करते है, जिसमें दिनांक 3 जनवरी, 2003 की बर्खास्तगी के पहले आदेश पर रोक लगाने से इंकार करते हुए, प्रथम प्रतिवादी को बहाल करने का निर्देश नहीं दिया था। श्रम न्यायालय को

इस मामले में आगे बढ़ना था और गुणों के आधार पर निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, श्रम न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश दिनांक 5 नवंबर, 2015 द्वारा पहले ही बर्खास्तगी के पहले आदेश दिनांक 3 जनवरी, 2003 को बरकरार रखा है और इस आदेश के विरुद्ध पहले प्रतिवादी ने रिट याचिका संख्या 5205/2016को प्राथमिकता दी है, जो एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। इस रिट याचिका का निर्णय विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा वर्तमान अपील में चुनौती के तहत आक्षेपित आदेशों से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने पैराग्राफ 10 से 19 में दिए गए आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया है। यह अच्छा और वैध होगा और वर्तमान आदेश के बावजूद निर्देशों और निष्कर्षों के रूप में जारी रहेगा।

29. तदनुसार, तत्काल अपीलों को उपर्युक्त शर्तों में अनुज्ञात किया जाता है और उनका निपटान किया जाता है। मामले के तथ्यों में, खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं होगा ।

<u>बी. विशेष अवकाश याचिका (सिविल) 2017 की संख्या 6342</u>

30. हमें आक्षेपित आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार और कारण नहीं मिलता है जिसमें केवल खर्चे को कम किया है। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

न्यायाधीश मोहन एम. शंत्नागौडर

न्यायाधीश संजीव खन्ना

नई दिल्ली,

29 जुलाई, 2019

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purpose, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.